माननीय, *सुखदेव सिंह कंग जे.* के समक्ष

1968 की सिविल रिट संख्या 305।

माखन सिंह व अन्य - याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा सरकार और अन्य - प्रतिवादी

पुलिस अधिनियम, 1861, धारा 15 - अशांत राज्य में एक गांव को अधिसूचित करने वाली उद्घोषणा जारी की गई - ऐसी उद्घोषणा में ठोस और प्रासंगिक कारण होने चाहिए - रेजीडेंसी गांव को संबंधित अधिकारियों को आश्वस्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए - पुलिस अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवेदन को बाहर नहीं करता है।

[पैरा 3]

याचिकाकर्ताओं के लिए - अरुण मेहरा, एडवोकेट।
एजी के लिए- बी.आर। प्रेमी, एडवोकेट।

निर्णय

सुखदेव सिंह कांग, जे.

माखन सिंह और 86 अन्य निवासी गांव रुकसाना, तहसील कैथल, जिला करनाल ने 22 सितंबर, 1967 की अधिसूचना को रद्द करने की रिट जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/ 227 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसकी प्रति इस याचिका के साथ अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है।

2.याचिकाकर्ता गांव रुकसाना, तहसील कैथल, जिला करनाल के निवासी और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। याचिकाकर्ता माखन सिंह गांव के सरपंच हैं और याचिकाकर्ता नंबर 2, 3 और 4 पंचायत के सदस्य हैं। याचिकाकर्ता नंबर 5 गांव का लंबरदार है। एक ओर याचिकाकर्ता माखन सिंह और दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं मनसा सिंह और कुंदन सिंह के बीच गांव में कुछ कृषि भूमि के संबंध में कुछ दीवानी मामले और आपराधिक मुकदमे थे, जिसके कारण धारा 107/151, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और अन्य मामलों के तहत कार्यवाही हुई। हालांकि, जुलाई-अगस्त के महीनों में ग्राम पंचायत और गांव के अन्य सम्मानितों के हस्तक्षेप पर, दोनों पक्षों के बीच मतभेद सुलझ गए थे, और दो आपराधिक मामलों को वास्तव में अदालत में समझौता किया गया था। हालांकि थाना प्रभारी और पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी गांव के लोगों से नाराज थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस अधिनियम की धारा 15 के तहत 22 सितंबर, 1967 को एक अधिसूचना जारी की गई है । उसी से संबंधित उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"1861 के पुलिस अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत, हरियाणा के राज्यपाल ने यह घोषणा करते हुए कृपा की है कि जिला करनाल के असंध पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में रुक्साना गांव का क्षेत्र अशांत स्थिति में है और उपरोक्त क्षेत्र के निवासियों के कदाचार के कारण, पुलिस की संख्या में वृद्धि करना समीचीन है।

इस अधिसूचना के माध्यम से यह घोषित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं का गांव अशांत है राज्य और ग्रामीण दुराचार के दोषी हैं और इस कारण से पुलिस की संख्या में वृद्धि करना समीचीन था। इस स्तर पर, पुलिस अधिनियम की धारा 15 को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

"15. अशांत या खतरनाक जिलों में अतिरिक्त पुलिस का क्वार्टरिंग:

(1) राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उद्घोषणा द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए और ऐसी अन्य रीति से, जो राज्य सरकार निदेश दे, यह घोषणा करे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र अशांत या खतरनाक अवस्था में पाया गया है या ऐसे क्षेत्र के निवासियों के या उनके किसी वर्ग या धारा के आचरण से, पुलिस की संख्या में वृद्धि करना समीचीन है।

(2) इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी के लिए, राज्य सरकार की मंजूरी से, पूर्वोक्त उद्घोषणा में निर्दिष्ट क्षेत्र में क्वार्टर किए जाने वाले सामान्य नियत पूरक के अलावा किसी भी पुलिस बल को नियोजित करने के लिए विधिपूर्ण होगा।

(3) इस धारा की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल की लागत उद्घोषणा में वर्णित ऐसे क्षेत्र के निवासी द्वारा वहन की जाएगी।

(4) जिले का मजिस्ट्रेट, ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसी लागत को उन निवासियों के बीच विभाजित करेगा, जो पूर्वोक्त रूप में, इसे वहन करने के लिए उत्तरदायी हैं और जिन्हें अगली उत्तरवर्ती उपधारा के तहत छूट नहीं दी गई है। इस तरह के विभाजन ऐसे निवासियों के ऐसे क्षेत्र के भीतर संबंधित साधनों के मजिस्ट्रेट के फैसले के अनुसार किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे निवासियों के किसी भी व्यक्ति या वर्ग या अनुभाग को ऐसी लागत के किसी भी हिस्से को वहन करने के दायित्व से छूट दे।

(6) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह अवधि का उल्लेख होगा जिसके लिए उसे प्रवृत्त रहना है, परन्तु उसे किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा या समय-समय पर आगे की अवधि या अवधियों के लिए जारी रखा जा सकेगा जैसा कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निदेश देना ठीक समझे ।

अधिसूचना आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी भी आधार या कारणों का खुलासा नहीं करती है । यह केवल क़ानून की भाषा को पुन: पेश करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि गांव किस तरह से अशांत स्थिति में है। यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्रामीण चूक या कमीशन के किस कार्य के दोषी हैं, जिन्हें कदाचार कहा गया था। अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्राधिकारियों को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अपने स्वभाव से, इन शक्तियों का प्रयोग उचित विचार-विमर्श और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है । इस आदेश के खिलाफ कोई अपील या कोई अन्य उपाय नहीं है। इस आदेश के

परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं सहित ग्रामीणों पर भारी वित्तीय देनदारी बनती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें लगभग 60,000 / इस याचिका को राज्य ने लिखित बयान में स्वीकार कर लिया है । अशिष्टता की बुराई की जांच करने के तरीकों में से एक यह है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों का समर्थन करना चाहिए। वर्तमान मामले में, कोई कारण नहीं दिया गया है। इसलिए आदेश मनमानेपन के दोष से ग्रस्त है और अकेले इस स्कोर पर मारा जा सकता है

3. इस आदेश को पारित करने से पहले, याचिकाकर्ताओं या गांव के अन्य निवासियों को संबंधित अधिकारियों को यह समझाने का कोई मौका नहीं दिया गया था कि पुलिस की संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापसी में कहा गया है कि गांव में माखन सिंह और मानसा सिंह के नेतृत्व में दो गुट हैं । अब माखन सिंह और मानसा सिंह दोनों ने संयुक्त रूप से दाखिल किया है यह याचिका। वर्ष 1967 में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था। यह आदेश 22 सितंबर, 1967 को पारित किया गया है। यह दर्शाता है कि 1967 के इन नौ महीनों के दौरान गांव पूरी तरह से शांत था। यह भी स्पष्ट है कि दो आपराधिक मामलों में समझौता किया गया था। वर्ष 1966 में भी केवल चार मामले दर्ज किए गए थे। उनमें से दो अवैध हथियारों से संबंधित थे, एक आबकारी अधिनियम से और चौथा धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत। हिंसा से जुड़ा कोई मामला नहीं था। इसलिए, यदि याचिकाकर्ताओं को अवसर दिया गया होता, तो वे अधिकारियों को आश्वस्त करते कि गांव में दंडात्मक पुलिस बल तैनात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सभी व्यापक हैं। धारा 15 की भाषा या उस मामले के लिए संपूर्ण पुलिस अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवेदन को शब्दों में या आवश्यक इरादे से बाहर नहीं करता है। इस स्कोर पर भी आदेश रद्द किया जा सकता है।

4. ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और 22 सितंबर, 1967 की अधिसूचना को रद्द करता हूं । लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका स्वीकार कर ली गई।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy